न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 18/2016
RCMS Case No. 2016/00420

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 हरिश कुमार पुत्र तुलसीदास जाति सिन्धी मैसर्स एच.टी. प्रोडक्टस, प्लॉट नम्बर 2 गवारिया बस्ती, चिमनपुरा, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. श्री हरिहन्त चौपडा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक 25/10/18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.12.2015 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स एच.टी. प्रोडक्टस, प्लॉट नम्बर 2 गवारिया बस्ती, चिमनपुरा, पाली पर दौराने गश्त पहुँचा, अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) के 20 कार्टन में से आठ पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–425 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिये गए हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) को Misbranded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में जिस कार्यवाही का जिक्र किया है, वह अवैधानिक रूप से की गई है। अप्रार्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार से मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री का उत्पादन, विक्रय नहीं किया है तथा न ही अप्रार्थी किसी प्रकार का

अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अवैधानिक कार्य करता है। अप्रार्थी द्वारा तथाकथित तुलसी ब्राण्ड हरे मटर का उत्पादन नहीं किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को अप्रार्थी की फर्म से हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–425 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./1021/एक्ट/2015/1024 दिनांक 28.12.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–425 को Misbranded माना है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded खाद्य वस्तु शूगर हरा मटर (ब्राण्ड तुलसी) का विर्निमाण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली